

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :- 41(1) कार्मिक/नि.चि./31/06/1535


दिनांक:- 4/8/06

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा इन्डोर पेशेंट पर 10 प्रतिशत तथा जांचों पर 20 प्रतिशत की छूट देय होगी।


1. शुभम हास्पिटल, बी 59 कमला नेहरू नगर विस्तार प्रथम, जोधपुर
2. गोंयल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा०लि०, 961/3 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर
3. सुधा हास्पिटल एण्ड मेडीकल रिसर्च सेंटर प्रा०लि०, 11ए तलवडी, झालावाड़ रोड, कोटा
4. सौलकी हास्पिटल, 10 रामकुटीर, नामली का चौराहा, अलवर
5. मित्तल हास्पिटल, कृषि उपज मण्डी के पास, अलवर
6. कोठारी मेडीकल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, गजनेर रोड, बीकानेर
7. टैगोर हास्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सेक्टर 7 शिवा पथ, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर
8. मंगलम हास्पिटल, आदर्श नगर, जयपुर

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्ण अपेक्षा में जारी किया जाता है।


सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता राज०आ०मण्डल, जयपुर।
2. व०नि०स०-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज०आ०मण्डल, जयपुर।
3. अति० मुख्य अभियंता राज०आ०मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त..... राज०आ०म०.....।
5. आवासीय अभियंता खण्ड..... राज०आ०म०.....।
6. संबन्धित हास्पिटल.....।
7. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय..... राज०आ०मण्डल, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड /रचित पत्रावली


सचिव